भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3639

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन

3639. **डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रहीः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों से संकेत मिलता है कि नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में अभी भी व्यापक वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वह निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के संबंध में राष्ट्रीय स्तर के आँकड़े संकलित नहीं करता है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश के संबंध में आँकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर निजी गैर-वित्तीय निगमों का सकल स्थिर पूँजी निर्माण लगभग 56% बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 2018-19 (महामारी से पहले) में लगभग ₹19.01 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹29.68 लाख करोड़ हो गया है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त कॉरपोरेट्स के वित्तीय विवरण डेटा के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे नोट किया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की निवल स्थिर आस्तियों में वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 7.6%, 10.3% और 10.2% की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक चुनिंदा बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करके निजी कॉरपोरेट्स के निवेश आशय संबंधी डेटा संकलित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अगस्त 2024 अंक में प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 के 401 से वित्त वर्ष 2023-24 में दोगुनी से अधिक बढ़कर 944 हो गई। इसी अवधि के दौरान, स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत ₹1.4 लाख करोड़ से बढ़कर ₹3.9 लाख करोड़ हो गई।

(ख): सरकार ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें पूंजीगत व्यय, अवसंरचना विकास, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और व्यापार में सुगमता पर बल दिया गया है। प्रमुख पहलों में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, ऋण गारंटी कार्यक्रम, रक्षा, खुदरा व्यापार और बीमा जैसे क्षेत्रों में एफडीआई में उदारीकरण और एफडीआई नीति की नियमित समीक्षा शामिल हैं। अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश - जो अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट्स), रियल एस्टेट निवेश न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) जैसे लिखतों और व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल द्वारा समर्थित हैं - का लक्ष्य निजी पूंजी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) और राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) जैसी संस्थाएं दीर्घावधिक अवसंरचना संबंधी वित्तपोषण प्रदान करती हैं। इसके अलावा, बजट 2025-26 में आंशिक ऋण संवर्द्धन (पीसीई) सुविधा, अर्बन चैलेंज फंड, तथा गतिशीलता और निवेशक की रुचि को बनाए रखने के लिए अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के विस्तार जैसे उपायों की घोषणा की गई।

***